11/26/2018 IMG-20181120-WA0025.jpg

रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-73

REGISTERED No. D.(D.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25] नई दिल्ली, शनिवार, जून 24, 1978/आषाढ़ 3, 1900

No. 25] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 24, 1978/ASADHA 3, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकरणों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

नई दिल्ली, 16 मई, 1978

सा० का० नि०—805.केन्द्रीय सरकार, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश 27 के नियम 8ख के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के भूतपूर्व विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 1412 तारीख 25 नवम्बर, 1960 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, उड़ीसा से संबंधित मद 10 में, उच्च न्यायालय से संबंधित उपमद (क) के सामने, स्तम्भ (2) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"श्री पूर्ण चन्द्र मिश्रा,

केन्द्रीय सरकार के स्थायी काउंसेल"

[सं० एफ० 36(2)/78-न्या०]

जी० वी० जी० कृष्णमूर्ति, अपर विधि सलाहकार

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 16th May, 1978

G.S.R. 805.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of rule 8B of Order XXVII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Law No. G.S.R. 1412 dated the 25th November, 1960, namely :—

In the Schedule to the said notification, in item 10 relating to Orissa, against sub-item (a) relating to High Court, in column (2), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Shri Puran Chandra Mishra,

Central Government Standing Counsel."

[No. F. 36(2)/78-Judl.]

G. V. G. KRISHNAMURTHY, Additional Legal Adviser

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 6 जून, 1978

सा० का० नि० 806—केन्द्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात्, भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

सत्यापित
सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

https://mail.google.com/mail/u/0/#label/gazette/KtbxLxg/VGXSVhCWzFKJzlciwrlcHZjXq?projector=1&messagePartId=0.1 1/1

क्रम सं०	सारणी अधिसूचना सं० और तारीख	शुद्धि
1.	सा० का० नि० 651(अ) तारीख 22 अक्तूबर, 1977	पृष्ठ 2013 पर पंक्ति 6 से "चतुर्थ संशोधन" के स्थान पर "तृतीय संशोधन" पढ़ा जाएगा।
2.	सा० का० नि० 732 (अ) तारीख 5 दिसम्बर, 1977	पृष्ठ 2007 पर पंक्ति 11 में "पांचवां संशोधन" के स्थान पर "चतुर्थ संशोधन" पढ़ें।
3.	सा० का० नि० 775 (अ) तारीख 27 दिसम्बर, 1977	पृष्ठ 2130 पर पंक्ति 15 में "तृतीय संशोधन" के स्थान पर "पांचवां संशोधन" पढ़ें।

[सं० पी० 15013/1/78-डी एम एस और पी एफ ए]
जी० पंचापकेशन, अवर सचिव

New Delhi, the 12th June, 1978

CORRIGENDUM

G.S.R. 821.—In the notifications of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) specified in column (2) of the Table below the corrections specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table should be carried out.

THE TABLE

S. No.	Notification No. and date	Corrections
1.	G.S.R.651(E) dated 22nd October, 1977.	In lines 6 and 7, for "Fourth Amendment", read "Third Amendment";
2.	G.S.R.732(E) dated 5th December, 1977.	In lines 4 and 5, for "Fifth Amendment", read "Fourth Amendment";
3.	G.S.R.775(E) dated 27th December, 1977.	In lines 16 and 17, for "Third Amendment" read "Fifth Amendment".

[No.P.15013/1/78-DMS&PFA]
G. PANCHAPAKESAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1977

सा० का० नि० 822.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा निदेशालय, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम दिल्ली में उप-सहायक निदेशक (भंडार) और राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली में भंडार अधिकारी के पदों पर भर्ती की विधि को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का नाम राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम उपसहायक निदेशक (भंडार) और राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान (भंडार अधिकारी) भर्ती नियम, 1977 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2. उपयोजन.—ये नियम इन नियमावली से संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 1 में दिए गए पदों पर लागू होंगे।

3. संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.—पदों की संख्या उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होंगे जैसा कि अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में निर्दिष्ट है।

4. भर्ती की विधि, आयुसीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की विधि, आयुसीमा, अर्हताएं तथा अन्य बातें वही होंगी जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये सामान्य आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष प्रवर्गों के अन्य व्यक्तियों के मामले में सीधी भर्ती के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा शिथिल की जा सकती है।

5. अनर्हता.—कोई व्यक्ति—

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है जिसका कि पति या जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जो व्यक्ति एक पति/एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है, सेवा में नियुक्त होने का पात्र नहीं है :

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

सत्यापित
ह०/- 19-11-18
सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

6. छूट देने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह विचार हो कि छूट देना आवश्यक या उचित है वहां वह संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से और लिखित कारणों के आधार पर आदेश द्वारा किसी श्रेणी या वर्ग के संबंधित व्यक्तियों को इन नियमों के किसी उपबंध से छूट दे सकती है।

7. व्यावृत्ति :—इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये जिन आरक्षणों और अन्य रियायतों की व्यवस्था करना अपेक्षित है, उन पर इन नियमों की किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1. उप-सहायक निदेशक भंडार।	2	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित	700-40-900-द०रो०-40-1100-50-1300 रुपये।	लागू नहीं होता	40 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिलनीय) नोट :—भारत में उम्मीदवारों (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के अलावा) से आवेदनपत्र प्राप्त होने की अन्तिम तारीख आयुसीमा के निर्धारण की निर्णायक तारीख मानी जाएगी।	अनिवार्य : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में मास्टर डिग्री या उसके समकक्ष। (2) किसी सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी विभाग अथवा प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थान में किसी उत्तरदायित्वपूर्ण पद पर भंडारों के खरीदने, उन्हें भंडार में रखने और उन्हें जारी करने का तीन वर्ष का अनुभव, अच्छा हो यदि यह अनुभव चिकित्सा भंडार आदि उपकरणों से संबंधित हो। (अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हताएं शिथिलनीय हैं। विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के बारे में अनुभव संबंधी अर्हताएं शिथिलनीय है) वांछनीय : (1) सरकारी नियमों और विनियमों की जानकारी। (2) आयात और निर्यात विनियमों/प्रक्रिया की अच्छी जानकारी।

सत्यापित 19-11-18
सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु सीमा और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति क्या भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा ।	यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति हो तो उसकी संरचना	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
8	9	10	11	12	13
नहीं	2 वर्ष	50 प्रतिशत प्रोन्नति/स्थानान्तरण द्वारा, 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण ।	समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए उम्मीदवारों को स्थायी बनाने के लिए)] (1) संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग—अध्यक्ष (2) निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम—सदस्य (3) निदेशक (प्र० एवं सं०)—सदस्य स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय । केन्द्रीय सरकार के अधीन समान पदों पर कार्य कर रहे अधिकारी अथवा 650-1200 रुपये के वेतनमान में तीन वर्ष की नियमित सेवा अथवा इसके समकक्ष और भंडारों (अच्छा हो चिकित्सा भंडारों और उपकरणों के खरीदने, उनका भंडार रखने और उनको प्रेषित करने का अनुभव । राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली में कार्य कर रहे विभागीय भंडार अधिकारी जिसको तीन वर्ष की नियमित सेवा हो, के आवेदन पत्र पर भी विचार किया जाएगा और यदि वे इस पद के लिए चुन लिए जाएंगे तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया पद समझा जाएगा (प्रतिनियुक्ति अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।	प्रत्येक अवसर पर चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा ।

सत्यापित
सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

11/26/2018 IMG-20181120-WA0028.jpg

1	2	3	4	5	6	7
भंडार अधिकारी	2	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित	650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200 रुपये।	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिलनीय नोट :—भारत में उम्मीदवारों (अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप समूह के उम्मीदवारों के अलावा) से आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तारीख आयुसीमा के निर्धारण की निर्णायक तारीख मानी जाएगी।	अनिवार्य : (क) (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में मास्टर की डिग्री अथवा इसके समकक्ष (2) किसी सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी विभाग अथवा प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थान में भंडारों के खरीदने, उन्हें भंडार में रखने और जारी करने का 5 वर्ष का अनुभव, अच्छा हो यदि अनुभव चिकित्सा भंडार और उपकरणों से संबंधित हो। अथवा (ख) (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक की डिग्री अथवा इसके समकक्ष। (2) किसी सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी विभाग अथवा प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थान में किसी-उत्तरदायित्वपूर्ण पद,ने पर भंडारों के खरीदने) उन्हें भंडार में रख और उन्हें जारी करने का तीन वर्ष का अनुभव, अच्छा हो यदि यह अनुभव किसी चिकित्सा भंडार आदि उपकरणों से संबंधित हो। (अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हताए शिथिलनीय हैं। विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के बारे में अनुभव संबंधी अर्हताएं शिथिलनीय है) वांछनीय : (1) सरकारी नियमों और विनियमों की जानकारी। (2) आयात और निर्यात विनियमों/प्रक्रिया की अच्छी जानकारी।

सत्यापित सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

https://mail.google.com/mail/u/0/#label/gazette/QgrcJHsNqLw/\cGqDHDSWdlXrdpVWRzWPQq?projector=1&messagePartId=0.1 1/1

comprehensive service/maintenance [illegible] 2018 dtd. 09.05.18 against tender called through [illegible]

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता है	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता है	समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त उम्मीदवारों को स्थायी बनाने के लिए) समिति के सदस्य इस प्रकार होंगे :— (1) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली से संबंधित उपर महानिदेशक/उपमहानिदेशक—अध्यक्ष (2) निदेशक, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली—सदस्य (3) निदेशक (प्र० एवं भ०) स्वा० सेवा महानिदेशालय—सदस्य (4) उप निदेशक (प्रशासन) (सं० एवं प०)—सदस्य	प्रत्येक अवसर पर चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा।

[सं० ए० 12018/4/76—पी० एण्ड सी० डी०/मलेरिया]

आनन्द प्रकाश बत्री, उप सचिव

New Delhi, the 22nd December, 1977

G.S.R 822.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Assistant Director (Stores) in the Directorate, National Malaria Eradication Programme, Delhi and Stores Officer in National Institute of Communicable Diseases, Delhi :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Malaria Eradication Programme, (Deputy Assistant Director (Stores) and (National Institute of Communicable Diseases, (Stores Officer) Recruitment Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application .—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number, Classification and Scale of Pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age Limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid :

Provided that the upper age limit specified for direct recruitment may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

5. Disqualifications.—No person :—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied the such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect rservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the other order issued by the Central Government from time to time in this regard.

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

SCHEDULE

Name of Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection post or Non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Educational & other qualifications prescribed for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
1. Deputy Assistant Director (Stores)	2	General Central Service Group A Gazetted	Rs.700-40-900-EB-40-1100-50-1300	Not applicable	Not exceeding 40 years. (Relaxable for Government servants) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (Other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential : (i) Master's Degree in Science of a recognised University or equivalent. (ii) 3 years experience in responsible capacity in a Government or Semi-government Department or industrial concern of repute concerning purchase, storage and issue of stores preferably medical stores and equipments. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified in particular, the qualification regarding experience is relaxable in case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for posts reserved for them). Desirable :— (i) Knowledge of Government rules and regulations. (ii) Familiarity with import and export regulations/procurement.

Whether age and qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probontion if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputaion/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists what is the composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
No	2 years	transfer on 50% by promotion/deputation 50% by recruitment	Promotion/transfer on deputation. Officers under the Central Government holding analogous posts or with 3 years regular Services in posts in the scale of Rs: 650-1200 or equivalent and having experience of purchase, storage and issue of stores, preferably medical stores and equipement. The departmental stores officer in the National Institute of Communicable Diseases, Delhi with 3 years regular service in the grade will also be considered and if he is selected for appointment to the post, it will be treated as having been filled by promotion (period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years).	Group 'A' Departmental promotion Committee. (For considering confirmation of a direct recruits.) (i) Joint Secretary, Department of Health —Chairman (ii) Director, National Malaria Eradication programme.... —Member (iii) Director (Administration and Vigilence) Dte. General of Health Services —Member.	Selection on each occassion shall be made *in consultation with* the Union Public Services Commission.

सत्यापित सत्य — प्र. ... 19-11-18
सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग

1	2	3	4	5	6	7
2. Stores Officer	2	General Central Service Group 'B' Gazetted.	Rs.650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200	Not applicable.	Not exceeding 35 years. (Relaxable for Government servants) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)	Essential : (A) (i) Master's Degree in Science of a recognised University or equivalent. (ii) 3 years' experience in a Government or Semi-Government Department or industrial concern of repute concerning purchase, storage and issue of stores, preferable medical stores and equipments. OR (B) (i) Bachelor's Degree in Science of a recognised University or equivalent. (ii) 5 years' experience in a Government Department or Semi-Government Department or industrial concern of repute concerning purchase storage and issue of stores preferably medical stores and equipments. (Qualifications relaxable at the discretion of Union Public Health Service Commission in case of candidates otherwise well qualified, in particular the qualification regarding experience is relaxable in case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for posts reserved for them) Desirable :— (i) Knowledge of Government rules and regulations. (ii) Familiarity with import and export regulations/procedures.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	2 years	By direct recruitment.	Not applicable.	Group 'B' D.P.C. (For considering confirmation of a direct recruit). The composition of the D.P.C. for considering the confirmation of the incumbent of the post may be as under :— 1. Additional Director General/Deputy Director General Concerned with the National Institute of Communicable Diseases, Delhi —Chairman 2. Director, National Institute of Communicable Diseases, Delhi — Member. 3. Director of Administration and Vigilance Directorate General of Health Services —Members. 4. Deputy Director of Administration (O & M) —Member.	Selection on each occasion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission.

[No. A. 12018/4/78-CCD/Malaria]

ANAND PRAKASH ATRI, Dy. Secy.

सत्यापित
19-11-18
सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54